यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/35/2018 **दिनांक :** 12.04.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

समूह चिकित्सा बीमा योजना

यह योजना 10वें द्विपक्षीय समझौते के परिणामस्वरूप प्रारम्भ हुई थी। विगत कुछ समय से आईबीए के द्वारा भेजी गई एक सूचना वाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया में घूम रही है जिसमें यूएफबीयू ने कथित रूप से लिखा है कि वो योजना को समाप्त करने के विषय में निर्णय ले लेंगे यदि यूनियनें आगे आकर समिति के गठन के लिए नाम प्रस्तुत नहीं करतीं। साथियों के मध्य तथ्यों की स्पष्टता प्रस्तुत करने के लिए हम नीचे एआईबीईए के परिपत्र पत्र संख्या 28/70/2018/18 दिनांक 11.04.2018 का अनूदित सार प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके माध्यम से आईबीए को लिखा गया यूएफबीयू का पत्र पुर्नप्रसारित किया गया है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

समूह चिकित्सा बीमा योजना

इकाईओं को ज्ञात है कि हम समूह चिकित्सा बीमा योजना के समुचित तथा परेशानी मुक्त कार्यान्वयन की माँग कर रहे हैं। हम 11वें द्विपक्षीय समझौते के तहत इस योजना में और सुधार की भी माँग कर रहे हैं।

इस बीच आईबीए इन मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त समिति के गठन के साथ–साथ विभिन्न ब्रोकर्स की नियुक्ति, प्रीमियम की दर, आदि के बारे में निर्णय लेने के लिए कह रही है। यूएफबीयू से हमने ब्रोकर्स की नियुक्ति में यूनियनों को शामिल करने के लिए अपनी आपत्ति व्यक्त की है और इन मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित करने के लिए कहा है।

लेकिन आईबीए ने यूएफबीयू को एक पत्र भेजा है यह निर्दिष्ट करते हुए कि यदि यूनियनें समिति के गठन के लिए नाम प्रस्तुत करने के लिए आगे नहीं आती हैं, तो वे स्वयं योजना को छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं। आईबीए के अस्वीकार्य निर्णय को देखते हुए, एक पत्र इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन को संबोधित किया गया है जो निम्नानुसार है :

जारी पृष्ठ 2

''हमें समिति के गठन के सम्बन्ध में उपरोक्त विषय पर आपका पत्र दिनांक 07.04.2018 प्राप्त हुआ है।''

आरंभ में हम कहना चाहते हैं कि पत्र में कहे गए आईबीए के निहितार्थ उत्तेजक और अनुचित हैं। हमने पहले ही अपने दृष्टिकोण को समझाया है और मामले में उचित समझ तथा स्पष्टता की आवश्यकता है इससे पहले कि हम समिति के गठन के लिए नामों को प्रस्तुत करने के साथ आगे बढ़ें।

आपको याद होगा कि चिकित्सा बीमा योजना अस्पतालीकरण व्यय प्रतिपूर्ति योजना, जो 9वें द्विपक्षीय समझौते तक उपलब्ध थी, में सुधार की हमारी मांग के जबाव में प्रबन्धन का प्रस्ताव था। जबकि चिकित्सा बीमा योजना के पीछे का उद्देश्य परेशानी मुक्त प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना था, इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्मचारियों/सेवानिवृत्त लोगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्यायें हैं जिनका संशोधन, सुधार और आवश्यक सुधारों के लिए समाधान किया जाना है। हमने इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पहले ही एक संयुक्त बैठक का सुझाव दिया है और हम योजना का बेहतर शासन प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं।

लेकिन हमें लगता है कि यह वांछनीय और उचित है कि यूनियनों को ब्रोकर्स की नियुक्ति, टीपीए आदि जैसे पहलुओं में प्रवेश नहीं करना है जो विशुद्ध प्रशासनिक हैं। हमें अफसोस है कि इन मुद्दों पर चर्चा करने और इन्हें तय करने के लिए बैठक का आयोजन करने के बजाय, ऐसा उत्तेजक पत्र भेजा जाता है।

कृपया नोट करें कि योजना समझौता/संयुक्त नोट के द्वारा मूर्त रूप में आई है और योजना को छोड़ने सहित एकतरफा आगे बढ़ने के किसी भी प्रयास का यूएफबीयू द्वारा उचित रूप से जबाव दिया जायेगा।

हम आशा करते हैं कि आईबीए मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं करेगी और तत्काल एक बैठक की व्यवस्था करेगी जहां सभी जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।''

आगे की प्रगति उचित समय पर इकाईओं को सूचित की जायेगी।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री